न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 186/2025 (GCMS : 2025/279)

कुन्दन लाल पुत्र श्री बोगीराम जाति अग्रवाल निवासी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक):

1/1 **तरसेम लाल** पुत्र स्व. कुन्दनलाल जाति अग्रवाल निवासी रायसिंहनगर, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **श्री गऊशाला रायसिंहनगर** जरिये अध्यक्ष श्री गऊशाला रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. **शिव कुमार** पुत्र तारांचद जाति ब्राह्मण निवासी हाल प्रधान/अध्यक्ष श्री गऊशाला, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. **स्टेट ऑफ राजस्थान** जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजनिवास बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक वाद संख्या 132/2010 अन्तर्गत धारा 183 आरटीए अनवानी कुन्दन लाल बनाम श्री गऊशाला वगै., उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायलाय में विचाराधीन है।

मामला अत्यंत आवश्यक प्रकृति का है और वर्ष 2010 से लम्बित है तथा 15 वर्ष व्यतीत हो चुके है, परन्तु पीठासीन अधिकारी जानबूझकर शिथिलता बरत रहे है और अब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से मिलते जुलते हुए देखा है। अप्रार्थीगण अवैध तरीके से पीठासीन अधिकारी से उक्त पत्रावली का फैसला अपने हम में करवा सकते है। न्यायाहित में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री रामनिवास बिश्नोई ने अपने लिखित जवाब व बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थी ने समस्त तथ्य बनावटी दर्ज किये है। अप्रार्थी का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने झूठे, मनगढ़त आरोप लगाये है, जो निराधार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 05.03.2026 का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 132 / 2010 अनवान् कुन्दनलाल बनाम श्री गऊशाला वगै. अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को वर्ष 2010 से लम्बित एवं राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties. case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्धान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत शीघ्र निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित साहू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर